परिषद की वर्ष 1979 की पंचम बैठक

दिनांक 10-12-79

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 10-12-79 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1979 की पंचम बैठक का कार्य-वृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1) श्री बी0जे0ओदायजी		अध्यक्ष
(2) श्री दया नन्द व्यास	सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(3) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	एडवोकेट	सदस्य
(4) श्री राम औतार दीक्षित	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(5) श्री नेम सिंह चौहान	सदस्य विधान सभा	सदस्य
(6) श्री मुश्ताक अहमद अन्सारी	सदस्य विधान सभा	सदस्य
(7) श्री बी0के0चतुर्वेदी	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ।	सदस्य
(8) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(9) प्रो0दिनेश मोहन	निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की।	सदस्य
(10) श्री एस0पी0गुप्ता	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।	सदस्य
(11) श्री जवाहर लाल शुक्ल	अनु सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।	सदस्य
(12) श्री कमल पाण्डे	आवास आयुक्त	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
(1)	दिनांक 12-9-79 को रुड़की में हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	V/(1)/79	दिनांक 12-9-79 को रुड़की में हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 12-9-79 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	V/(2)/79	परिषद द्वारा दिनांक 12-9-79 की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नांकित निर्देश दिये गये:— 1- परिषद की कार्यान्वयन समिति की कार्यवाही का विवरण परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय जिसमें परिषद के पूर्व पारित प्रस्तावों जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है, के सम्बन्ध में स्थिति बतायी जाय।

क0पृ0उ0

1	2	3	4
			2- 16-ए०पी०सेन रोड स्थित भूमि एवं भवन को क्रय करने के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाये।
			3- भूमि अध्याप्ति की प्रगति को बढ़ाने के लिये आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में राजस्व एवं आवास विकास के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाय जिसमें भूमि अध्याप्ति अधिकारियों की संख्या बढ़ाने, उन्हें परिषद मुख्यालय पर बिठलने के सम्बन्ध में निर्णय कराया जाय।
			4- हरदोई नगर में आवासीय योजनाओं हेतु नजूल भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त श्री राम औतार दीक्षित एवं जिलाधिकारी, हरदोई के साथ बातचीत करके परिणाम से परिषद की अगली बैठक में अवगत करायें।
			5- पदोन्नति व्दारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों के आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के कार्मिक विभाग से पूछा जाय।
			6- परिषद में एक अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की नियुक्ति के सम्बन्ध में साव[illegible] पुनः स्मरण कराया जाय और यदि आवश्यक हो तो सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिलकर इस मामले में शीघ्र निर्णय कराया जाय।
			7- परिषद के योजना क्षेत्र में पड़ने वाले बागों एवं योजनाओं के अन्तर्गत रहने वाले पुराने निवासियों को बिजली, पानी एवं जलोत्सारण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से पुनः परीक्षण किया जाय तथा परिषद की आगामी बैठक में तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत की जाय।
			8- योजना संख्या-3 मेरठ में 42 एकड़ व्यवसायिक तथा 13.5 एकड़ बस अड्डे की भूमि को रिहायशी प्रयोग हेतु परिवर्तित कराने के सम्बन्ध में शासन से सम्बन्धित उप सचिव से मिलकर भू-उपयोग परिवर्तन के मामले को सचिव आवास एवं विकास परिषद निस्तारित करायें।
			9- आवास आयुक्त जिलाधिकारी एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल से मिलकर मेरठ में आफिस बिल्डिंग बनाने की संभावनाओं पर भी विचार करें।

ह०प०उ०

1	2	3	4
			10- ईंटों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में ईंट के भट्टे वालों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाय और कृत कार्यवाही की सूचना परिषद की अगली बैठक में दी जाय।
			11- कार्य निदेशक हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री तथा वन निगम से मिलकर निर्माण कार्यों के लिये लकड़ी की उपलब्धता पर विचार कर परिषद की अगली बैठक में सूचित करें।
			12- आवास आयुक्त जिलाधिकारी, अलीगढ़ व स्थानीय व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर, मैरिस रोड एवं राम घाट रोड क्षेत्र में न केवल दुकानों अपितु भवन/भूखण्ड के लिये भी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में प्रयास करें और परिषद को कृत कार्यवाही की सूचना दें।
			13- परिषद मुख्यालय पर प्रोजेक्ट मानीटियरिंग कोष्ठ की स्थापना का विषय ओ0एण्ड एम0 समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति की संस्तुतियाँ परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
			14- परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सेवकों/ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों के कर्मचारियों के परिषद सेवा में संविलयन के सम्बन्ध में गाइड लाइन्स बनाकर परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।
			15- शोध एवं विकास सेल की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्थगित करते हुये इस प्रस्ताव को ओ0एण्ड एम0 समिति के माध्यम से परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के निदेश दिये थे। ओ0एण्ड एम0समिति इस विषय पर एक बार विचार कर चुकी है। परिषद की अगली बैठक में समिति की संस्तुति प्रस्तुत की जाय।
			16- परिषद की रामतीर्थ हिल्टन रोड योजना में आफिस काम्पलेक्स का निर्माण करने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित उप-समिति की बैठक यथाशीघ्र की जाय तथा उसकी रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
(3)	नेशनल बिल्डिंग कान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन, नई दिल्ली के माध्यम से लीबिया में परिषद द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में।	V/(3)/79	परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस कार्य से परिषद के कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस विषय में एक टिप्पणी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

क0प0उ0

1	2	3	4
(4)	सार्वजनिक निगमों के गैर-सरकारी अध्यक्षों एवं गैर-सरकारी निदेशकों को दिये जाने वाले मानदेय भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।	V/(4)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
(5)	आवास परिषद की देहरादून रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना रुड़की में समाविष्ट खसरा सं0-1171 से 1178 तक को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	V/(5)/79	इस प्रस्ताव को परिषद नेसर्वसम्मति से अनुमोदित किया और आदेश दिये कि आवास आयुक्त की रिपोर्ट शासन को आदेशार्थ हेतु भेज दी जाय।
(6)	श्रीमती दीप्ति सान्याल एवं श्रीमती श्याम सुन्दरी मिश्रा को क्रमशः मध्यम आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवन आवंटन के सम्बन्ध में।	V/(6)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जनवरी माह में कई नगरों में पंजीकरण खुलने जा रहा है। भवन आवंटन के सम्बन्ध में सम्बन्धित लोग तभी पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकते हैं।
(7)	हमड रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद।	V/(7)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अधीन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(8)	झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 इलाहाबाद।	V/(8)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1)के अधीन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(9)	झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 इलाहाबाद।	V/(9)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अधीन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(10)	तालपुरा भूमि विकास योजना संख्या-15, झांसी।	V/(10)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (1) के अधीन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(11)	बुद्धपुर गृहस्थान एवं सड़क योजना संख्या-1, फतेहगढ़।	V/(11)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (1)के अधीन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(12)	डोमरौली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-मिर्जापुर।	V/(12)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अधीन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(13)	तीसरी हडको (एच0आई0जी0)प्रोजेक्ट मुरादाबाद।	V(13)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि अगली बैठक में वित्तीय क्षति के बारे में आख्या प्रस्तुत की जाय।
(14)	परिषद की बरेली-पीलीभीत मार्ग योजना-3 में प्रस्तावित 24 नग मध्यम आय वर्ग के भवनों का परिषद कोष से निर्माण।	V/(14)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
(15)	ट्रान्स जमुना गृहस्थान योजना आगरा की धारा-31 के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	V/(15)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
(16)	कुर्सी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ।	V/(16)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (1) के अधीन स्वीकार किया।
(17)	हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बलिया	V/(17)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को

कृ0प0उ0

1	2	3	4
	की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।		परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(18)	अरमापुर स्टेट के समीप कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(18)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(19)	पोप्स विला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-2 नैनीताल का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(19)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(20)	सेल्फ फाइनेन्सिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण।	V/(20)/79	परिषद ने इस योजना को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(21)	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूखण्डों एवं भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियमावली-1979	V/(21)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(22)	मुख्यालय पर वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।	V/(22)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से एक एम्बेसेडर कार नियमानुसार शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त क्रय करने की अनुमति प्रदान की।
(23)	राजस्व विभाग हेतु तहसील मुख्यालयों पर भवन निर्माण योजना(डिपाजिट वर्क पर)	V/(23)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(24)	परिषद योजनाओं में सामाजिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं का प्राविधान।	V/(24)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को अगली बैठक के लिये स्थगित कर दिया।
(25)	बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, बाराबंकी।	V/(25)/79	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि शेष किसानों के साथ इस योजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जाय और तत्पश्चात् परिषद की अगली बैठक में सूचित किया जाय।
(26)	राम सागर मिश्र नगर योजना-लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर, मुन्शीपुरवा व बसौली में रहने वालों के लिये परिषद द्वारा सार्वजनिक शौचालय, मार्गों के दोनों ओर नाली कार्य तथा पानी के नल लगाने आदि के सम्बन्ध में।	V/(26)/79	परिषद ने सैद्धान्तिक रूप से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की किन्तु इसके रख-रखाव के लिये व्यवस्था पर परिषद की अगली बैठक में प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि इसके लिये धन प्राप्त करने हेतु शासन के ग्राम्य विकास विभाग को लिखा जाय।
(27)	हडको लो कास्ट कम्पटीशन प्रोजेक्ट नन्दनपुरा-झांसी (नं0-1167)	V/(27)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
(28)	परिषद की योजनाओं में धार्मिक स्थानों की स्थापना के लिये भूमि का प्राविधान।	V/(28)/79	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् इस सम्बन्ध में परिषद को परामर्श देने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक उप-समिति गठित की:- 1- श्री दया नन्द व्यास 2- श्री राम औतार दीक्षित 3- श्री टी0एन0सिंह 4- श्री नेम सिंह चौहान 5- श्री मुश्ताक अहमद अन्सारी 6- श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश। यह समिति अपनी संस्तुतियाँ परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।
(29)	नहरबाग गोरा पट्टी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-फैज़ाबाद।	V/(29)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1)के अधीन स्वीकार किया।
(30)	मालवीय पुस्तकालय बाज़ार योजना अलीगढ़ के अन्तर्गत 21/2 ब्लाक में भूमि तल पर 40 दुकानों व 4 किनारे की दुकानों तथा 20 कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु प्रारम्भिक प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध	V/(30)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
(31)	द्वितीय सीतापुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर को धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(31)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(32)	परिषद की मेंहदौरी आवास योजना इलाहाबाद के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड सं0-बी0-1 का आवंटन श्री लोक नाथ को करने के सम्बन्ध में।	V/(32)/79	सैद्धान्तिक रूप से परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आवास आयुक्त को इसमें निर्णय लेने के लिये भी अधिकृत किया।
(33)	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना कानपुर का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(33)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(34)	औरैया भूमि विकास एवं सड़ योजना-1 (इटावा) का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(34)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की ।
(35)	खुरजा-पहासू मार्ग पर आवासीय योजना सं0-2 का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	V/(35)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-11965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की ।

क्र0प0उ0

1	2	3	4
(36)	कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 विस्तार जी0टी0रोड कानपुर का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(36)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(37)	शिकोहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1	V/(37)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(38)	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-5 बरेली।	V/(38)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(39)	एटा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, एटा।	V/(39)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(40)	छिबरामऊ भूमि विकास एवं सड़क योजना सं0-1, छिबरामऊ।	V/(40)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(41)	फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, की धारा-28 के अनुसार प्रकाशित करने एवं अग्रिम चलाने का प्रस्ताव।	V/(41)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(42)	मैनपुरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 मैनपुरी की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(42)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(43)	मेरठ की देहली मार्ग पर आवासीय योजना सं0-1 मोदीनगर (जिला-गाज़ियाबाद) का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(43)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(44)	इटावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(44)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(45)	पाण्डेयपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी की धारा-31 (2) के अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(45)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (2) के अधीन स्वीकार किया।
(46)	निर्माण कार्य की समीक्षा।	V/(46)/79	भूमि अध्याप्ति के लिये प्रगति की समीक्षा करते हुये परिषद ने मार्च-1980 के अन्त तक 1500 एकड़ का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। 2- भूमि विकास के लक्ष्य की प्रगति मन्द है। मार्च, 1980 तक 800 एकड़ भूमि का विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाय तथा अवशेष लक्ष्य जून, 1980 में प्राप्त किया जाय।

कृ0प0उ0

2	3	4
		3- <u>भवन निर्माण</u> 15,000 मकानों के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च, 1980 तक 12,000 भवन पूर्ण करने तथा जून, 1980 तक 15,000 भवन पूर्ण करने का निर्देश परिषद ने दिया।
निदेशक (वं जनसम्पर्क) पद का उच्ची-	V/(47)/79	परिषद ने पहले से कार्यरत व्यक्ति को उच्चीकृत पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति नहीं दी। इसके लिए एक उप-समिति बनाई गई जो इस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करे। इस उप समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:- 1- श्री बी०के० चतुर्वेदी, प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ। 2- श्री हेमेन्द्र कुमार, सूचना निदेशक, लखनऊ। 3- श्री कमल पाण्डे, आवास आयुक्त।
अनुमति से विषय।	V/(48)/79	श्री नेम सिंह चौहान सदस्य ने कहा कि पार्क रोड स्थित भवनों की त्रुटियों के सम्बन्ध में उन्होंने भूतपूर्व आवास आयुक्त से शिकायत की थी तथा श्री श्याम धर मिश्र ने भी इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र पार्क रोड स्थित भवनों की घटिया किस्म के सम्बन्ध में लिखा था। इस सम्बन्ध में अभी तक न तो कोई जांच हुई है और न उसके परिणाम से अवगत कराया गया है। त्रुटियों का निवारण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच की जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय तथा खराबियों को तुरन्त ठीक कराया जाय। प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्जामिनर को परिषद ने जांच कर रिपोर्ट देने को आदेश दिया।

पुष्टि की गई।

[signature]

अध्यक्ष
25.2.80